


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगंगानगर

महेन्द्र सिंह बनाम जरनेल सिंह आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राज. काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या :- 2021/946 (CCMS)

30.12.2021 आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील प्रार्थीगण श्री सतपाल बिश्नोई के जरिये प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता देने के लिए अप्रार्थीगण सहमत हैं। यदि तहसील रावला के चक 6 पीएसडी-बी के प.नं. 153/07 मु.नं. 28 के किला नं. 1, 2, 3, 4, 5 में 2-2 बिस्वा रास्ता प.नं. 156/06 के चिपता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः पक्षकारान का राजीनामा होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसील रावला के चक 6 पीएसडी-बी के प.नं. 153/07 मु.नं. 28 के किला नं. 1, 2, 3, 4, 5 में 2-2 बिस्वा रास्ता प.नं. 156/06 के चिपता स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) रावला को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


(अभिलाखा)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना


dentist
Cmy

जरनेल सिंह
अश्वदेव सिंह
g. by. me
